

¹[नियम 41क : किसी राज्य संघ राज्यक्षेत्र के भीतर कारबार के विविध स्थानों के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने पर प्रत्यय का अंतरण

- (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने नियम 11 के उपबंधों के अनुसार कारबार के विविध स्थानों के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है, और वह अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में पड़े अनुपयोजित कर प्रत्यय को या तो पूर्णतः या भागतः किन्हीं या सभी नई रजिस्ट्रीकृत कारबार के स्थानों को अंतरण करने का आशय रखता है तो, इलेक्ट्रानिक रूप से, सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी आईटीसी-02क** में ब्यौरा या तो सीधे या इसके लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से ऐसा अलग रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के तीस दिन की कालावधि के भीतर सौंपेगा :

परन्तु यह कि नई रजिस्ट्रीकृत इकाइयों को रजिस्ट्रीकरण के समय उनके द्वारा धारित आस्तियों के मूल्य के अनुपात में वह इनपुट कर प्रत्यय अंतरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 'आस्तियों के मूल्य' से अभिप्रेत है कारबार के वह कुल आस्तियों का मूल्य चाहे उस पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया गया है या नहीं।

- (2) नया रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (अंतरिती), सामान्य पोर्टल पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (अंतरक) द्वारा इस प्रकार दिए गए ब्यौरों को प्रतिगृहीत करेगा और ऐसे प्रतिग्रहण पर, **प्ररूप जीएसटी आईटीसी-02क** में, विनिर्दिष्ट अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय उसके इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा हो जाएगा।]

¹ अधिसूचना क्र. 3/2019-के. कर, दि. 29.01.2019 द्वारा नियम 41क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।